10/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 23/1/24 को पेश हो। 8

प्रा0 पत्र 627/2023
राजेन्द्र प्रसाद बनाम भूमिधारी

23/1/2024 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन कि कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.न. 265/116 266/116 किता 2 रकबा 1.16 का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि का तहसीलदार जी के आदेश 06.2023 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरग आदेश पारित किये जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉ अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व राजस्व ग्राम बणियाला नगर पटवार हल्का मांकड़ी तहसील नीमकाथाना स्थित नं. 265/116 266/116 किता 2 रकबा 1.16 हैक्ट. प्रार्थी की खातेदारी भू अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयाग पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(राजवीर सिंह याद
उपखण्ड अधिका
नीमकाथाना (राज

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किय तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बणिया पटवार हल्का मांकड़ी तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 265/116 2 किता 2 रकबा 1.16 हैक्ट.. की प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 04.07.2023 पत्थ जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेद कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को पालना हेतु तहरीर पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 12:42:01 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह या
उपखण्ड अधि
नीमकाथाना (रा